राजी-25

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)(पी–21/94)अलेसे–III/ 6412-17 दिनांक :– 26/9/2014

श्री राजेन्द्र कुमार मंगवानी,
क0 लेखाकार,
बी–48, कमला कॉटेज,
नन्दपुरी कॉलानी, 22 गोदाम,
हवा सड़क, जयपुर
पिन कोड–3202006 ।

नोटिस

विषय :– बिना सूचना स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86 के तहत् नोटिस ।

विषयान्तर्गत लेख है कि आप राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई में कार्यरत रहने के दौरान से दिनांक 24.12.2013 से आदिनांक तक राज्य सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित चल रहे है। उक्त अनुपस्थिति अवधि के दौरान विभागीय आदेश कमांक एफ 2 (ग)(1) अलेसे–I/ 2745–95 दिनांक 10.7.2014 के द्वारा आपका स्थानान्तरण श्रम विभाग, जयपुर में किये जाने पर प्रबन्धक राजस्थान भवन वाशी नवी मुम्बई के आदेश राभवा/ 2014/ संस्था/ दिनांक 25.7.2014 के द्वारा श्रम आयुक्त जयपुर के कार्यालय में उपस्थिति दिये जाने हेतु कार्यमुक्त किया गया था किन्तु आप द्वारा आदिनांक तक स्थानान्तरित स्थान पर न तो कार्यग्रहण किया गया हैं और न ही विभाग में अनुपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की सूचना दी गई है। आपको विभाग के पत्रांक एफ. 4(ई)/ (21/94) / अलेसे–III/ 5100–5101 दिनांक 8.8.2014 द्वारा आपके निवास के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा राजस्थान भवन, नवी मुम्बई से कार्यमुक्ति आदेशों की प्रतियॉ प्रेषित की गई, वे भी प्राप्त नहीं किये जाने के कारण मूल ही वापस इस विभाग को प्राप्त हो गयी हैं ।

अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86 के अन्तर्गत कर्तव्य से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप नोटिस जारी कर लेख है कि है कि दिनांक 30.09.2014 तक आप अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख उपस्थित होकर कर्तव्य से अनुपस्थिति के कारणों से अवगत करावें, अन्यथा आपके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेंगी।

(हस्ताक्षर)
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)(पी–21/94)अलेसे–III/ 6412-17 दिनांक :– 26/9/2014

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर।
2. प्रबन्धक, राजस्थान भवन, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र
3. संयुक्त निदेशक (जाचं) कार्यालय हाजा को श्री राजेन्द्र कुमार मंगवानी के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु ।